

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग उदयपुर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष का स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 8 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

ORDER	Name	Employee ID	POST	Subject	Present Posting Place	DISTRICT	New Posting Place	DISTRICT	TA/DA	ZONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	LAXMI BHIL	RJRA200731014040	Senior Teacher (II Gr.)	Hindi	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAKRODA (222920)	RAJSAMAND	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANSDA (414100)	RAJSAMAND	NO	UDAIPUR
2	SHWETA KHANDELWAL	RJRA201831023989	Senior Teacher (II Gr.)	Sanskrit	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAJA NANDORA (222917)	RAJSAMAND	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANSDA (414100)	RAJSAMAND	NO	UDAIPUR
3	NILESH PANDYA	RJDU200715003774	Senior Teacher (II Gr.)	English	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BODIGAMA CHHOTA (222984)	DUNGARPUR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RANGTHOR (504437)	DUNGARPUR	NO	UDAIPUR

उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीक्षाधीन कर्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्थानान्तरित कर्मिकों एवं समकक्ष को उसके सम्बन्धित विषय के स्पष्ट रूप से रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्य पद/विषय के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वच्छ ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कर्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कर्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कर्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कर्मिक/निलम्बित कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कर्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है

(एग्जिक्यूटिव पलात)
संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर

दिनांक- 12.01.2023

क्रमांक :- संयु.नि./स्कूल शिक्षा/उदय/संस्था-ब/फा-1063/2022/669

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- संबन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कर्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- संबन्धित कर्मिक
- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर